क्रम-संख्या–271

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 01 सितम्बर, 2010

भाद्रपद 10, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 2118/तीस-1–2010-7(39)-07

लखनऊ, 01 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

प०आ०–521

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 17 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और अंततः दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को सार्वजनिक सूचना देकर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 1270/30–1–2009–5(39)/07, दिनांक 13 अगस्त, 2009 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् परगना और तहसील फरीदपुर जिला बरेली में ग्राम सराय कस्बा जेड0ए0–II में नये बस स्टेशन के निर्माण के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन बरेली के कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वह उक्त भूमि को अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2–चूँकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अग्रतर निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, बरेली के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के अवसान पर कब्जा कर सकते हैं।

टिप्पणी–अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2118/XXX-1–2010-7(39)-07, dated September 01, 2010 for general information:

No. 2118/XXX-1–2010-7(39)-07

Dated Lucknow, September 01, 2010

IN continuation of Government-notification no. 1270/30-1-2009-5(39)/07, August 13, 2009 issued under sub-section (1) of section 4 *read* with sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) and lastly publised by giving public notice on September 4, 2009 the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose, namely for the construction of new Bus Station Gram Sarai Kasba Z.A.-II Pargana and Tehsil Faridpur in district Bareilly and under section 7 of the said Act to direct the collector of Bareilly to take order for acquisition of said land.

The Governor being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of said Act to direct that the Collector of BAREILLY though no award under section-11 has been made may on the expiration of fifteen days from the date of publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the said Schedule for the said public purpose.

अनुसूची

SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Village	गाटा संख्या Plot no.	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Approximate Area (In Hectare)
1	2	3	4	5
बरेली Bareilly	फरीदपुर Faridpur	कस्बा सरांय जेड ए–II Kasba sarai Z.A.-II	1879	0.41
			योग 1 किता Total 1 Kitta	0.41 हेक्टेयर Hectares

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :– परगना और तहसील फरीदपुर जिला बरेली में ग्राम सरांय कस्बा जेड0ए0–II के नये बस स्टेशन के निर्माण हेतु।

For what purpose required :– For Construction of New Bus Station Gram Sarai Kasba Z.A.-II Pargana and Tehsil Faridpur in district Bareilly.

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, बरेली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :–A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Bareilly.

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

By order,
MAJID ALI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 423 राजपत्र (हि०)–2010–(956)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 13 सा० परिवहन–2010–(957)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।